भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 226

उत्तर देने की तारीख 09 मार्च, 2026

सोमवार, 18 फाल्गुन, 1947 (शक)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत रोजगार लिंकेज

***226. श्री अतुल गर्गः** **श्रीमती शांभवीः**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा करने के छह माह के भीतर रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने वाले कुशल प्रशिक्षुओं के, प्रतिशत में, कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल को उद्योगों की वास्तविक मांग के अनुरूप संरेखित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भागीदारों का कोई तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने हरित प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित क्षेत्रीय कौशल केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों और निजी संस्थाओं के साथ सहयोग किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों से प्रमाणित प्रशिक्षुओं को रोजगार देने वाले उद्योगों, विशेषकर गाजियाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई और सूरत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को कोई वित्तीय या गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) सदन के पटल पर विवरण रखा गया है।

<u>प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत रोजगार लिंकेज के संबंध में श्री अतुल गर्ग और श्रीमती शांभवी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *226 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर के संबंधित विवरण।</u>

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन एवं पुनः कौशल प्रदान करना है।

पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू की गई योजना के पहले तीन चरणों- पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन पर नजर रखी गयी। पीएमकेवीवाई के इन चरणों में, एसटीटी में प्रमाणित 56.89 लाख उम्मीदवारों में से 24.38 लाख उम्मीदवारों को नियोजन प्राप्त हुआ है, जिससे कुल नियोजन दर 42.8% हो जाती है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं। अब ध्यान प्रशिक्षित उम्मीदवारों को विविध करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इन अवसरों में उम्मीदवार की पसंद और उपलब्ध अवसरों के आधार पर स्वरोजगार और वेतनभोगी रोजगार दोनों शामिल हैं। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, उम्मीदवारों को उद्योग-संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) शामिल है। यह व्यावहारिक अनुभव और कार्यस्थल का ज्ञान सुनिश्चित करता है, जिससे प्रशिक्षुओं को आवश्यक कौशल विकसित करने और अपने करियर अवसर के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिलती है।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया है, जिनका नेतृत्व संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणी कर रहे हैं। इन एसएससी को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने और कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देने हेतु जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों वाले क्षेत्रों के साथ-साथ जिले में कौशल की मांग की पहचान करती है और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं की रूपरेखा बनाती है। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की कमियों को दूर करने के लिए तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं।

युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाने और कौशल प्रशिक्षण को वर्तमान उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए, एमएसडीई ने पीएमकेवीवाई के तहत निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए हैं:

I. **उद्योग की भागीदारी में वृद्धि:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए उद्योग भागीदारों, उद्योग निकायों और नियोक्ता संगठनों के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रशिक्षण प्रदान करना, वास्तविक कार्यबल की आवश्यकताओं और एआई, एमएल, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे नए युग के कौशल के अनुरूप हो।

II. **अवार्डिंग बॉडीज:** उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप जॉब रोल्स को विकसित करने के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईबीएम, बजाज फिनसर्व, माइक्रोसॉफ्ट आदि जैसे 15 से अधिक उद्योगों को अवार्डिंग बॉडीज के रूप में नामित किया गया है।

III. **उद्योग परामर्श कार्यशालाएं:** वाउचर-आधारित प्रशिक्षण, हाइब्रिड मॉडल और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसी कार्यनीतियों के माध्यम से कौशल विकास इको सिस्टम को बढ़ाने के लिए 120 से अधिक उद्योगों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

IV. **उद्योग नेतृत्व वाले क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी):** एसएससी नियोक्ताओं और उद्योग भागीदारों के साथ निरंतर जुड़कर उभरती हुई जॉब रोल्स की पहचान करते हैं, योग्यता पैक (क्यूपी) और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) को अद्यतन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशिक्षण सामग्री वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करती है।

V. **राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ़):** सभी जॉब रोल्स एनएसक्यूएफ़ के अनुरूप हैं, जिसे उद्योग के फीडबैक, प्रौद्योगिकीय विकास और क्षेत्रीय मांग के पैटर्न के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

VI. **जिला कौशल समितियां (डीएससी):** डीएससी स्थानीय रोजगार मांग का आकलन करने और प्रशिक्षण कार्यान्वयन को क्षेत्रीय उद्योग की आवश्यकताओं और आजीविका के अवसरों के अनुरूप बनाने के लिए जिला स्तर पर कौशल अंतर का आकलन करती हैं।

VII. **कार्य-प्रशिक्षण (ओजेटी)** उद्योगों में अल्पकालिक कौशलीकरण हेतु।

(ग) एमएसडीई गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीएमकेवीवाई का समय-समय पर पृथक मूल्यांकन करता है। नीति आयोग द्वारा किए गए एक मूल्यांकन (अक्टूबर 2020) से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करने की इच्छा व्यक्त की। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) घटक के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 52 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अप्रमाणित समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करने या बेहतर आय की उम्मीद करने की सूचना दी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किए गए पीएमकेवीवाई 2.0 के एक पृथक मूल्यांकन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 70.5 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनके वांछित कौशल क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। हाल ही में, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा 2025 में किए गए पीएमकेवीवाई 4.0 के एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में पाया गया कि 77 प्रतिशत अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) उम्मीदवारों और 78 प्रतिशत आरपीएल उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण सामग्री से संतुष्ट या बहुत संतुष्ट होने की सूचना दी, जो देश भर में पाठ्यक्रम और उसके प्रदान करने की मजबूत स्वीकृति को दर्शाता है।

(घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राज्य सरकारों, उद्योग भागीदारों और निजी संस्थानों के सहयोग से उभरते ग्रीन टेक्नोलॉजी सैक्टर्स में ग्रीन स्किल को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, कौशल विकास इको सिस्टम में ग्रीन जॉब रोल्स को एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **राज्य सरकारों के साथ सहयोग:** पीएमकेवीवाई 4.0 मांग-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, इसलिए राज्यों को कौशलीकरण के लिए मांग-आधारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) राज्य-विशिष्ट ग्रीन स्किल आवश्यकताओं की पहचान करने और नामित राज्य-संचालित कौशल केंद्रों के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग को एकीकृत करने में शामिल रहे हैं। कई राज्यों ने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अपशिष्ट प्रबंधन, सतत कृषि और ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों में ग्रीन स्किलिंग की पहल की है।
- **उद्योग और निजी संस्थानों के साथ साझेदारी:** एमएसडीई उद्योग निकायों और सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करता है और सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), बैटरी प्रबंधन प्रणाली, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कौशल सहित ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर केंद्रित प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करता है।
- **नेशनल ग्रीन इनिशिएटिव के साथ एकीकरण:** ग्रीन स्किलिंग के प्रयास नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) जैसी प्रमुख सरकारी पहलों के साथ संरेखित हैं। उन क्षेत्रों में कौशलीकरण को प्राथमिकता दी गई है जहां एनजीएचएम से जुड़े औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, भारत भर में ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कौशलीकरण पहलों के तहत कुल 7,884 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- **पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई):** प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) इस योजना के तहत तकनीकी कौशल प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है, जबकि निस्बड उद्यमिता विकास घटक को कार्यान्वित कर रहा है। कौशल विकास घटक के तहत, डीजीटी द्वारा 62,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, और उद्यमिता मॉड्यूल के तहत निस्बड द्वारा 24,000 से अधिक विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

(ङ) पीएमकेवीवाई 4.0 प्रमाणित प्रशिक्षुओं को रोजगार देने के लिए उद्योगों को प्रत्यक्ष वित्तीय या गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है, जिसमें गाजियाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई और सूरत के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उद्योग भी शामिल हैं। इसके बजाय, यह योजना देश के सभी क्षेत्रों में नियोजनीयता बढ़ाने और उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मांग-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है।

*****